न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/2857/2001/कोलो/गंगानगर

1– हनुमान पुत्र श्री सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी चक 2 वाई तहसील व जिला श्री गंगानगर।

----- प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना जिला श्री गंगानगर।
2– वन विभाग जरिये वन संरक्षक अधिकारी, घड़साना जिला श्री गंगानगर।

----- अप्रार्थी

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक प्रार्थी।
श्री शौकिन्दलाल गुर्जर उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से ।
श्री रामसुख चौधरी उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनाक 15–10–2019

यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत विरूद्व आदेश जिला कलक्टर श्री गंगानगर दिनांक 9–4–2001 जो उनके द्वारा नियम 22 (3) के तहत कार्यवाही कर प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया गया है, के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादग्रस्त भूमि वाके चक 24 आर0जे0डी0 के मुरब्बा नं0 218/16 के किला नं0 12 ता 25 कुल 14 बीघा कमाण्ड भूमि का प्रार्थी को भूमिहीन के रूप में पुख्ता आवंटन दिनांक 10–7–1986 को सहायक उप निवेशन आयुक्त, छत्रगढ़ द्वारा किया गया जिसका कब्जा प्रार्थी को सम्भला दिया गया और प्रार्थी इस भूमि की नियमित किश्ते जमा करवाता आ रहा है। तहसीलदार राजस्व घड़साना के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 (3) इ.गा.न.प. आवंटन नियम 1975 जिनको आगे केवल

निगरानी / 2857 / 2001 / कोलो / गंगानगर
हनुमान बनाम सरकार

आवंटन नियम 1975 कहा जावेगा दिनांक 24–5–1996 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी आवंटी हनुमान को विवादित आराजी का आवंटन नियम विरूद्व किये जाने के कारण नियम 22 (3) के अन्तर्गत खारिज की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर ने प्रकरण को सरकार बनाम हनुमान प्रकरण सं0 138/96 पर दर्ज कर प्रार्थी को एक नोटिस दिनांक 23–3–1996 को जारी कर कैम्प कोर्ट घड़साना में दिनांक 6–7–1996 को उपस्थित होने व जवाबदेई करने के लिए दिया गया जिस पर प्रार्थी हाजिर आया और जवाब नोटिस प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन प्रार्थी को सही किया गया है और यह भूमि राजकीय भूमि है। यह भूमि वन विभाग की नहीं है परन्तु जिला कलक्टर श्री गंगानगर ने तहसीलदार घड़साना द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2047 में वादग्रस्त भूमि का गलती से वन विभाग दर्ज होने से प्रार्थी का आवंदन आदेश दिनांक 10–7–1986 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी निगरानीधीन आदेश दिनांक 9–4–2001 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4– निगरानी पर उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में तर्क है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि का आवंटन केवल इस आधार पर खारिज किया गया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2047 के अनुसार वादग्रस्त आराजी आवंटन से पूर्व वन विभाग नर्सरी का रकबा होने के कारण प्रार्थी को आवंटन योग्य नहीं थी। जमाबन्दी सम्वत् 2047 में वन विभाग के नाम यह इन्द्राज किस अधिकारी के व सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा इन्द्राज दर्ज किया गया है, इस बात की कोई जांच नहीं की गई। जिला कलक्टर वन विभाग को पक्षकार बनाया गया है परन्तु वन विभाग से केवल यह कहलवाया है कि यह भूमि वन विभाग को आवंटित है जबकि वन विभाग के नाम का आवंटन आदेश एवं आवंटन संबंधी पत्रावली मंगवाकर अध्ययन नहीं किया गया केवल मात्र वन विभाग के प्रतिनिधि के मौखिक कथन पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 24 आर0जे0डी0 के मु0नं0 118/16 कुल 25 बीघा का आवंटन वन विभाग को हुआ है। वन विभाग द्वारा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही यह साबित किया गया कि वन विभाग को यह

रकबा कब व किस आवंटन अधिकारी के द्वारा किया गया है। आवंटन की दिनांक व आवंटन अधिकारी का नाम व स्थान नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1995 व 1996 के है जो पूर्ववतः आवंटन पर लागू नहीं होते हैं और ना ही इन निर्णयों के बिना वन विभाग की भूमि की जांच किये वगैर लागू नहीं किये जा सकते। वादग्रस्त भूमि कमाण्ड रकबा है और कमाण्ड रकबा को वन विभाग को आवंटित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य पर भी विद्वान जिला कलक्टर द्वारा कोई गौर नहीं कर केवल सरसरी तौर पर तहसीलदार घड़साना एवं वन विभाग द्वारा गलत बयानी के आधार पर प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। बहस में आगे तर्क दिया कि भूमि आवंटन हुई जब रकबा राज थी। वादग्रस्त आराजी की कीमत अदा की। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। गलत आवंटन के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। अन्य भूमि आवंटित किये जाने के पश्चात् कब्जा लिया जावें। अतःनिगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर गंगानगर के आदेश दिनांक 9-4-2001 को निरस्त किया जावें तथा प्रार्थी के आवंटन आदेश दिनांक 10-7-1986 को बहाल रखा जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2002 (3) डी0एन0जे0 पेज 1385, निगरानी कोलो. सं0 572/2000 ओमप्रकाश बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 2-4-2008 की प्रति पेश की।

6- प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक गैर निगराकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का हनुमान को आवंटन से पूर्व रकबा वन विभाग का होना बताया तथा रकबा वन विभाग का होने के कारण हनुमान को आवंटन योग्य नहीं था। किश्त जमा कराने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्वत् 2047 की जमाबन्दी में आवंटन का अमल दरामद हुआ। कृषक के कॉलम में भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है तथा कॉलम सं0 15 में नोट है, नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। निगरानी का दायरा बहुत सीमित है। वादग्रस्त आराजी से निगराकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उचित एवं युक्तियुक्त है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से निगरानी काबिल खारिजी के है।

7- हस्तगत निगरानी में आवंटन पत्रावली सं0 73/80 के अवलोकन से विदित होता है कि सहायक उप निवेशन आयुक्त छतरगढ़ द्वारा दिनांक

निगरानी / 2857 / 2001 / कोलो / गंगानगर
हनुमान बनाम सरकार

10–7–1986 को चक 24 आर.जे.डी. के मु0नं0 218/16 का कि0नं0 12 ता 25 कुल 14 बीघा रकबा हनुमान पुत्र सोहनलाल विश्नोई साकिन 2 बाई तहसील गंगानगर को आवंटित किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2047 चक 24 आर.जे.डी. तहसील छतरगढ़ में विवादग्रस्त आराजी मु0नं0 218/16 का रकबा कि0नं0 12 ता 25 रकबा 14 बीघा वन विभाग के नाम दर्ज है तथा विशेष विवरण के कॉलम में लालस्याही से आवंटन का नोट दर्ज है। निगरानीकार द्वारा सम्वत् 2047 की जमाबन्दी के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि लालस्याही के नोट के आधार पर बाद में जमाबन्दी में आवंटी का नाम दर्ज बतौर खातेदार आया हो। निगरानीकार ने आवंटन संधि की किश्ते जमा कराने के बाबत कोई रसीदें पेश नहीं की। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय रिट पिटिशन सिविल नं0 220/95 के अनुसार जो भूमि राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम दर्ज है, वह किसी अन्य को आवंटन नहीं हो सकती। फोरेस्ट (कन्जर्वेशन) एक्ट 1980 के अनुसार भी वन विभाग की भूमि का अन्य काकर्यो के प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। चूंकि रकबा वन विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसलिए अप्रार्थी हनुमान को आवंटित नहीं किया जा सकता। रकबा वन विभाग का होने के कारण हनुमान के पक्ष में किया गया आवंटन शून्य है और इससे अप्रार्थी हनुमान को कोई कानूनी अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उसके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने योग्य है। विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

8– अतः जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्त करने संबंधी आदेश विधिसम्मत है। इसलिए निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

9– अतः उपरोक्तानुसार निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2001 बहाल रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

निगरानी / 2857 / 2001 / कोलो / गंगानगर

हनुमान बनाम सरकार